

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
—:: ब्लॉक-4, भू-तल, इन्द्रावती भवन ::—
अटल नगर नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

//विज्ञप्ति//

क्र०/सि.से.प्रो.यो./52-बी/2020-21/6071

रायपुर दिनांक 08/12/2020

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2020 में सफल प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने बाबत आवेदन पत्र का आमंत्रण

—000—

विभाग द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हेतु प्रोत्साहन योजना (यथा संशोधित) वर्ष 2010 के अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर राशि रुपये 1,00,000/- (अक्षरी एक लाख मात्र) प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।

अतः पात्र अभ्यर्थियों से दिनांक 31.12.2020 तक आवेदन आमंत्रित हैं। पात्रता, शर्तें तथा आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ब्लॉक-डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर, छ0ग0 में अंतिम तारीख तक जमा कर पावती प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र समय सीमा में रजिस्टर्ड डाक से भी उल्लेखित पते पर भेजा जा सकता है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

(शम्मी बाबिदी)

संचालक

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,
अटल नगर नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2020 में सफल
प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि
दिये जाने बाबत आवेदन पत्र

प्रति,

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,
ब्लाक-4, भू-तल, इन्द्रावती भवन
अटल नगर नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

नवीनतम फोटो
चिपकाएं स्टेपल न
करें

विषय :- संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2020 में सफल
प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन
राशि दिये जाने बाबत आवेदन पत्र।

1. अभ्यर्थी का नाम -
2. जन्म तिथि - (अ) अंकों में
(ब) शब्दों में
3. आयु - वर्ष माह दिन
4. शैक्षणिक योग्यता -
5. वर्तमान पता -
6. स्थायी पता -
7. अभ्यर्थी का वर्तमान व्यवसाय एवं
अभ्यर्थी की कुल वार्षिक आय (आय
प्रमाण पत्र संलग्न करें) -
8. पिता/अभिभावक का नाम -
9. माता का नाम -
10. पिता का व्यवसाय-
11. परिवार की कुल वार्षिक आय -
(शपथ पत्र के प्रारूप में)
12. परीक्षा का नाम एवं वर्ष
(अभिलेख संलग्न करें) (1) उत्तीर्ण परीक्षा -
(अ) प्रारंभिक परीक्षा - रोल नं.
(ब) मुख्य परीक्षा - रोल नं.
13. फोन नं./मोबाईल नं.-
14. ई-मेल -

15. परीक्षा की तैयारी हेतु केन्द्र/राज्य शासन की किसी योजनान्तर्गत निःशुल्क रहवासी प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो उसका विवरण दें :-

क्रमांक	प्रशिक्षण योजना का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण में उपलब्ध कराई गई सुविधा	किस केन्द्र पर प्रशिक्षण प्राप्त किया और किस वर्ष में
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

16. जाति -

अनुसूचित जनजाति

अनुसूचित जाति

(√) टिक करें

☐
☐

(आवेदक के छ.ग. में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति वर्ग की सूची में जाति/उपसमूह का नाम) अनु.जाति/जनजाति सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थाई जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

17. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है - (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)

हाँ

नहीं

☐
☐

18. आवेदक का आधार कार्ड नंबर -

..... (छायाप्रति संलग्न करें)

19. प्रोत्साहन राशि जमा करने हेतु बैंक खाते का विवरण -

(i) बैंक एवं शाखा का नाम -

(ii) IFSC कोड -

(iii) बैंक खाता क्र. -

टीप :- बैंक पास बुक का प्रथम पृष्ठ जिसमें उपरोक्त जानकारी हो, छायाप्रति संलग्न करें।

घोषणा पत्र

मैं श्री/कु. पिता/पालक

..... निवासी उपरोक्तानुसार दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है। मैंने पूर्व में इस योजना से लाभ प्राप्त नहीं किया है। यदि कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरी संपूर्ण प्रोत्साहन राशि निरस्त कर यह राशि मुझसे वसूल योग्य होगी तथा मेरे विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान -

दिनांक -

हस्ताक्षर

नाम -

पता -

.....

पात्रता की शर्तें एवं संलग्न किए जाने वाले अभिलेख :-

1. अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो।
2. अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी का स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।
3. अभ्यर्थी एवं अभ्यर्थी के माता-पिता/पालक की समस्त स्त्रोतों से आय, आयकर की श्रेणी में नहीं आता है तथा आयकर दाता नहीं है का 50 रु. के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। (आय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
4. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने का प्रमाण-पत्र या अधिकृत दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
5. अभ्यर्थी केन्द्र/राज्य शासन की योजना अंतर्गत निःशुल्क रहवासी प्रशिक्षण न लिया हो।
6. पूर्व में अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल होकर इस योजनांतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त किया है, तो वह पात्र नहीं होगा।

शपथ पत्र का प्रारूप

(50रु. के नॉन ज्युडिशियल स्टॉप पेपर पर प्रस्तुत किया जाए)

(राज्य सिविल सेवा वर्ष के प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु)

मैं पिता उम्र
निवासी ग्राम वि.खं., जिला यह शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ -

1. मैंने वर्ष के संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण किया है। मेरा रोल नंबर तथा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अर्हता पत्र संलग्न है।
2. मैं छ.ग. राज्य द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य हूँ एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मेरे पास है।
3. मैं छ.ग. राज्य का मूल निवासी हूँ।
4. पिता (यदि शासकीय सेवक है तो) आय
माता (यदि शासकीय सेवक है तो) आय
पिता यदि अन्य व्यवसाय है तो आय
परिवार के कृषि से आय
आवेदक की आय
कुल आय
5. मेरे परिवार की वार्षिक आय कुल है तथा मैं एवं मेरे माता पिता आयकर दाता नहीं है।
6. मैंने पूर्व में इस योजनांतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं की है।

उपरोक्त कंडिका 1 से 6 की जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास में सही है।
यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो, मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी,
जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

आवेदक का हस्ताक्षर